भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3941
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

तमिलनाडु में करूर के लिए ओडीओपी योजना

3941. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के करूर जिले के लिए "एक जिला एक उत्पाद" (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत सहजन को अनुमोदित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) करूर जिले के लिए ओडीओपी योजना के अंतर्गत अवसंरचना, प्रशिक्षण और उत्पाद विकास के लिए वित्तपोषण सहित आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) करूर में आज की तिथि के अनुसार ओडीओपी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं कि करूर से ओडीओपी के अतंर्गत आने वाले उत्पादों को बाजार समर्थन प्राप्त हो और इनका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संवर्धन किया जाए?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): जी हां। केंद्र प्रायोजित - "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई)" योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के करूर जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में मोरिंगा को मंजूरी दी गई है। योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत ओडीओपी और गैर-ओडीओपी के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध** में है।

(ख): पीएमएफएमई योजना के तहत ओडीओपी के लिए अलग से धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। हालांकि, ओडीओपी सहित पीएमएफएमई योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु राज्य को 31 अक्टूबर, 2024 तक 164.30 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है।

(ग): 31 अक्टूबर 2024 तक , पीएमएफएमई योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक के तहत करूर जिला में मोरिंगा आधारित उत्पादों (ओडीओपी) के लिए 2 आवेदकों सहित कुल 295 आवेदकों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्वीकृत की गई है।

(घ): पीएमएफएमई योजना के विपणन और ब्रांडिंग घटक के तहत, एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी द्वारा ओडीओपी/गैर-ओडीओपी के विपणन और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अभी तक, करूर जिले से कोई विपणन और ब्रांडिंग प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****

अनुबंध

दिनांक 19.12.2024 को "तमिलनाडु में करूर के लिए ओडीओपी योजना" के संबंध में उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3941 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) *सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर उपयोग हेतु अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी।

(iv) *ब्रांडिंग और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****